



20.03.2026 को निर्णय सुरक्षित

25.03.2026 को निर्णय सुनाया गया

ए.एफ.आर.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 10589/2026

राज कुमार वर्मा एवं एक अन्य.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता :अनुपम कुलश्रेष्ठ (वरिष्ठ अधिवक्ता), के साथ शताक्षी शुक्ला, मदनेश प्रसाद सिंह

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता :सी.एस.सी.

चैम्बर मे

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र

शामिल मुद्दा:- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के तहत चूक कर्ता के कानूनी प्रतिनिधियों से वसूली।

1. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए अधिवक्ता सुश्री शताक्षी शुक्ला द्वारा सहायतार्थ वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपम कुलश्रेष्ठ और राज्य-प्रतिवादियों के लिए स्थायी अधिवक्ता की दलीलें सुनीं।
2. यह रिट याचिका, इंडियन स्टाम्प अधिनियम, 1899 ('स्टाम्प अधिनियम') के तहत कार्यवाही के दौरान मरने वाले व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधियों के खिलाफ वसूली की कार्यवाही की प्रकृति, वैधता और दायरे से जुड़े अहम सवाल उठाती है। यह मुद्दा अलग-अलग कानूनों के कई प्रावधानों पर विचार करने से जुड़ा है, जिन पर चर्चा की जाएगी।

संक्षिप्त तथ्य

3. याचिकाकर्ता राज कुमार वर्मा और दीपक सोनी, स्वर्गीय राकेश कुमार वर्मा के बेटे हैं। उनके पिता ने साल 2020 में पंजीकृत विक्रय विलेख के ज़रिए खेती की ज़मीन के प्लॉट खरीदे थे। याचिकाकर्ताओं के पिता के खिलाफ़ स्टाम्प अधिनियम की धारा 47- ए के तहत कार्रवाई शुरू की गई थी और 12.05.2022 के एक आदेश के ज़रिए, आगरा के अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त और राजस्व) ('एडीएम') ने खरीदार पर कमी और जुर्माना लगाया; जुर्माने की रकम कितनी है, यह मायने नहीं रखता।
4. एडीएम ने 12.05.2022 के आदेश के पालन में, याचिकाकर्ताओं के पिता से 16,55,150 रुपये की राशि वसूलने के लिए 2022 में ही कलेक्टर/तहसीलदार, आगरा को डी. आर. संख्या 213/22 वाला वसूली प्रमाण पत्र भेजा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. 12.05.2022 के आदेश को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ताओं के पिता ने आयुक्त के सामने स्टाम्प से जुड़ी एक पुनरीक्षण याचिका दायर की। पुनरीक्षण की कार्यवाही के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई और याचिकाकर्ताओं ने खुद को उस याचिका में संशोधनवादी के तौर पर शामिल करवा लिया। उन्होंने मामले के गुण-दोष के आधार पर अपनी पुनरीक्षण याचिका पर ज़ोर दिया, लेकिन 29.08.2025 के आदेश से उसे खारिज कर दिया गया। नतीजतन, 2022 में शुरू की गई वसूली की कार्यवाही फिर से शुरू हो गई।

6. यह याचिका परमादेश रिट की मांग करते हुए दायर की गई है, जिसमें प्रतिवादियों को यह आदेश देने का अनुरोध किया गया है कि वे 12.05.2022 के आदेश और वसूली प्रमाणपत्र डी. आर. संख्या 213/22 के तहत रकम वसूलने के लिए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई भी ज़बरदस्ती वाली कार्रवाई न करें, और साथ ही याचिकाकर्ताओं की निजी संपत्तियों को ज़ब्त न करें या न बेचें।

याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलें

7. विद्वान वरिष्ठ आधिवक्ता ने दलील दी है कि भले ही शुल्क को अंतिम रूप दिए जाने पर कोई विवाद या चुनौती नहीं है, फिर भी याचिकाकर्ता, जो खरीददार के बेटे हैं, उनके खिलाफ वसूली प्रमाण पत्र के तहत ज़बरदस्ती कोई करवाई नहीं की जा सकती। दलील यह है कि याचिकाकर्ताओं को अपने पिता से कोई चल या अचल संपत्ति, नकद या गहने आदि नहीं मिले हैं, और इस बात की पुष्टि के लिए दोनों याचिकाकर्ताओं ने इस रिट याचिका के साथ अलग-अलग हलफनामे भी दाखिल किए हैं, इसलिए वे कोई भी रकम चुकाने के लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं।

8. इसके अलावा यह भी कहा गया है कि सिविल न्यायालय द्वारा मूल वाद संख्या 896/2022 (राकेश कुमार वर्मा बनाम गीता शुक्ला और अन्य) में 28.10.2024 को दिए गए आदेश के तहत बिक्री विलेख को अमान्य और शून्य घोषित कर दिया गया है। इसलिए, चूंकि याचिकाकर्ताओं के पिता के पक्ष में बनाई गई बिक्री विलेख से किसी संपत्ति का हस्तांतरण नहीं हुआ था क्योंकि उन्हें अमान्य और शून्य घोषित कर दिया गया है, इसलिए याचिकाकर्ताओं को उस संपत्ति का उत्तराधिकार भी नहीं मिला है।

9. आगे यह तर्क दिया गया है कि अगर प्रतिवादी वसूली प्रमाणपत्र में शामिल रकम वसूलना चाहते हैं, तो वे बिक्री विलेखों में शामिल संपत्ति को बेचकर या उनके दिवंगत पिता की निजी संपत्ति और फंड का इस्तेमाल करके ऐसा कर सकते हैं; लेकिन किसी भी हालत में, वसूली प्रमाणपत्र के तहत याचिकाकर्ताओं पर दबाव नहीं डाला जा सकता। यह तर्क स्टाम्प अधिनियम की धारा 48 और उत्तर

प्रदेश ज़मींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 ('1950 का अधिनियम') की धारा 279 के प्रावधानों पर आधारित है। साथ ही, यह तर्क भी दिया गया है कि चूंकि स्टाम्प अधिनियम के तहत शुल्क और जुर्माने की वसूली या तो उस व्यक्ति की चल संपत्ति को ज़ब्त करके और बेचकर की जा सकती है जिस पर वे बकाया हैं, या फिर भू-राजस्व के बकाये की वसूली के लिए लागू किसी अन्य प्रक्रिया से की जा सकती है, इसलिए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ वसूली प्रमाणपत्र जारी करना सही तरीका नहीं है। अंत में यह तर्क दिया गया है कि 1950 के अधिनियम की धारा 279 में वसूली के छह तरीके बताए गए हैं, और प्रतिवादी इनमें से किसी भी तरीके को अपना सकते थे, बजाय इसके कि वे याचिकाकर्ताओं को गिरफ़्तार करने की कोशिश करते, जैसा कि रिट याचिका में कहा गया है। अपनी दलीलों के समर्थन में, निम्नलिखित फैसलों का हवाला दिया गया है:-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i). चंद्र प्रभा चैरिटेबल ट्रस्ट बनाम अतिरिक्त कृषि आय कर अधिकारी-I : 2008 (2) केईआरएलजे 621;

(ii). भगवान सिंह बनाम साहेब सिंह : 2000 (1) एडब्ल्यूसी 151.

राज्य प्रतिवादियों की ओर से दलीलें

10. इसके उलट, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने दलील दी है कि यह रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि कमी और जुर्माना आदि लगाने वाले आदेशों को चुनौती नहीं दी गई है और इसलिए, इसके परिणामस्वरूप होने वाली वसूली को केवल चुनौती देने से बात नहीं बनेगी। यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता केवल अपने पिता की मृत्यु के आधार पर भुगतान करने की अपनी ज़िम्मेदारी से बच नहीं सकते, क्योंकि प्रतिवादी कानून के तहत बताई गई वसूली की किसी भी प्रक्रिया को अपनाकर रकम वसूलने के लिए अधिकृत हैं। आगे यह भी कहा गया है कि रिट याचिका में अपने पिता से कुछ भी विरासत में न मिलने के बारे में अस्पष्ट तर्क दिए गए हैं और एक बार जब याचिकाकर्ताओं ने समीक्षा आयुक्त के सामने खुद को प्रतिस्थापित करवा लिया था, तो यह दलील कि उनसे वसूली नहीं की जा सकती, स्वीकार नहीं की जा सकती।

चर्चा

11. हालाँकि, वसूली प्रमाणपत्र को रद्द करने की कोई अपील नहीं की गई है, फिर भी मांगी गई राहत और दी गई दलीलों को देखते हुए, यह न्यायालय स्टाम्प अधिनियम के तहत खरीदार के कानूनी प्रतिनिधियों से वसूली से जुड़ी कानूनी स्थिति पर विचार करेगा - आम तौर पर भी और इस मामले के तथ्यों के आधार पर भी।

12. स्टाम्प अधिनियम की धारा 2(14) के तहत "लिखत" को इस तरह परिभाषित किया गया है कि इसमें 'ऐसा हर दस्तावेज़ शामिल है जिसके ज़रिए कोई अधिकार या दायित्व बनाया जाता है, या बनाने का इरादा होता है, या उसे ट्रांसफर, सीमित, बढ़ाया, खत्म या रिकॉर्ड किया जाता है'। इसलिए, चाहे कोई अधिकार या दायित्व असल में बना हो या नहीं, लेकिन अगर उसे बनाने का इरादा दिखाया गया है, तो वह "लिखत" के अर्थ, मतलब और परिभाषा के दायरे में आएगा।

13. इसलिए, सिर्फ यह बात कि याचिकाकर्ताओं के पिता के पक्ष में किए गए बिक्री विलेख को बाद में ओ.एस. संख्या 896 of 2022 में सिविल न्यायालय के आदेश के तहत अमान्य और शून्य घोषित कर दिया गया था - चाहे मुकदमा शुरू होने का समय या कार्यवाही की प्रकृति कुछ भी रही हो, या आदेश की तारीख और प्रकृति कुछ भी हो - स्टाम्प अधिनियम के तहत कार्यवाही में दायित्व तय करने के मकसद से सिविल न्यायालय की यह घोषणा पूरी तरह से अप्रासंगिक होगी। इस संबंध में, इस न्यायालय की खंडपीठ के **कुंवरपाल शर्मा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य: एआईआर 2003 इलाहाबाद 7 (डीबी)** मामले के फैसले का हवाला दिया जा सकता है।

14. चूंकि विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिक्री पर अपने तर्क ज़ोर देकर नहीं रखे हैं और उन्होंने निष्पक्ष रूप से यह स्वीकार किया है कि स्टाम्प अधिनियम की धारा 17 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 2(14) के तहत, शुल्क की देयता उस तारीख पर निर्भर करता है जब

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दस्तावेज़ निष्पादित किया गया था या उससे पहले की किसी तारीख पर, इसलिए न्यायालय इस पहलू पर और विचार-विमर्श करना उचित नहीं समझता है।

15. दी गई दलीलों को देखते हुए, स्टाम्प अधिनियम की धारा 48 का ज़िक्र करना ज़रूरी होगा, जो इस प्रकार है:-

“48. शुल्क और जुर्माने की वसूली- इस अधिनियम के तहत देय सभी शुल्क, जुर्माने और अन्य राशियों की वसूली कलेक्टर द्वारा उस व्यक्ति की चल संपत्ति को ज़ब्त करके और बेचकर की जा सकती है, जिस पर ये राशियाँ बकाया हैं; या फिर ज़मीन के भू-राजस्व के बकाये की वसूली के लिए उस समय लागू किसी अन्य प्रक्रिया के ज़रिए भी इनकी वसूली की जा सकती है।”

16. वसूली के तरीकों के संबंध में धारा 48 में "या" शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए, वसूली के लिए निर्धारित तरीकों में से किसी भी तरीके को अपनाने का निर्णय कलेक्टर के विवेक पर निर्भर करता है। हालांकि, न्यायालय **1950 के अधिनियम के अध्याय X** को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता, जिसमें ज़मीन के लगान के बकाये के तौर पर रकम की वसूली के लिए विस्तृत प्रावधान हैं। तत्काल संदर्भ, 1950 के अधिनियम की धाराएं 279, 280, 281, 282 और 293 नीचे दी गई हैं:-

“279. भू-राजस्व की बकाया राशि की वसूली की प्रक्रिया.- (1) भू-राजस्व की बकाया राशि की वसूली नीचे दी गई प्रक्रियाओं में से किसी एक या अधिक तरीकों से की जा सकती है:-

- (क) किसी चूककर्ता को मांग का नोटिस या पेश होने का समन भेजकर,
 - (ख) उसे गिरफ्तार करके और हिरासत में रखकर,
 - (ग) उसकी चल संपत्ति जिसमें उपज भी शामिल है, को कुर्क करके और बेचकर,
 - (घ) उस ज़मीन को कुर्क करके जिसके लिए बकाया राशि देय है,
 - (ङ) उस ज़मीन को [पट्टे पर देकर या बेचकर] जिसके लिए बकाया राशि देय है,
 - (च) चूककर्ता की अन्य अचल संपत्ति को कुर्क करके और बेचकर,
 - [और],
 - (छ) चूककर्ता की किसी भी चल या अचल संपत्ति के लिए रिसीवर नियुक्त करके।
- (2) उप-धारा (1) में बताई गई किसी भी प्रक्रिया का खर्च, भू-राजस्व की बकाया राशि में जोड़ा जाएगा और उसी तरह वसूला जाएगा जैसे भू-राजस्व की बकाया राशि वसूली जाती है।”

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

280. मांग का आदेश और हाज़िर होने का समन.-(1) जैसे ही भू-राजस्व की कोई बकाया राशि देय हो जाती है, तहसीलदार चूककर्ता के खिलाफ मांग का आदेश जारी कर सकता है, जिसमें उसे एक तय समय के भीतर वह राशि जमा करने के लिए कहा जाता है।

(2) मांग के आदेश के अलावा या उसकी जगह, तहसीलदार चूककर्ता के खिलाफ एक नोटिस जारी कर सकता है, जिसमें उसे तय तारीख पर पेश होने और बकाया राशि जमा करने के लिए कहा जाएगा।

281. गिरफ्तारी और हिरासत- भू-राजस्व के बकाया भुगतान में चूक करने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है और 15 दिनों से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है, जब तक कि बकाया राशि [धारा 279 की उपधारा (2) के तहत वसूली योग्य लागत सहित] का शीघ्र भुगतान न कर दिया जाए: बशर्ते कि इस धारा के तहत किसी महिला या नाबालिग को गिरफ्तारी या हिरासत में नहीं लिया जा सकेगा: [इसके अलावा, कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी भू- के बकाया के लिए गिरफ्तारी या हिरासत का पात्र नहीं होगा जिसका वह भू-धर नहीं है केवल इसलिए कि वह धारा 243 के तहत भू-राजस्व के भुगतान के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।]

282. चल संपत्ति की कुर्की और बिक्री। (1) कलेक्टर, चाहे चूककर्ता को गिरफ्तार किया गया हो या नहीं, उसकी चल संपत्ति को कुर्क और बेच सकता है।

(2) इस धारा के अंतर्गत प्रत्येक कुर्की और बिक्री, सिविल न्यायालय के निर्णय के निष्पादन में चल संपत्ति की कुर्की और बिक्री के लिए उस समय लागू कानून के अनुसार की जाएगी।

(3) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की [धारा 60 की उपधारा (1) के परंतुक] के खंड (क) से (ओ) में उल्लिखित विवरणों के अतिरिक्त, धार्मिक पूजा के उपयोग के लिए विशेष रूप से अलग रखी गई वस्तुएं इस धारा के तहत कुर्की और बिक्री से मुक्त होंगी।

.....

293. यू. पी. अधिनियम III, 1901 के प्रावधान इस अध्याय के तहत आवेदनों और कार्यवाही पर लागू होंगे- संयुक्त प्रांत भू- राजस्व अधिनियम, 1901 के अध्याय IX और X के प्रावधान, जिनमें इस अधिनियम के तहत संशोधन किया गया है, इस अध्याय के तहत किए गए आवेदनों और कार्यवाही पर लागू होंगे, बशर्ते वे इस अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत न हों।

17. न्यायालय को इस बात का पता है कि बिक्री विलेख साल 2020 में तैयार किए गए थे। इसलिए, **उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 ('संहिता, 2006')** की धारा 230 को देखते हुए - जिसके तहत 1950 का अधिनियम रद्द हो गया है - 'संहिता, 2006' ही लागू होगी। धारा 230 की उप-धारा (2), जो एक 'बचाव करने वाला प्रावधान' है, इस मामले में लागू नहीं होगी क्योंकि 1950 के अधिनियम के रद्द होने से पहले कार्यवाही शुरू नहीं हुई थी। इसलिए, न्यायालय 'संहिता, 2006' के प्रावधानों पर विचार करेगा ताकि यह समझा जा सके कि ज़मीन के राजस्व के बकाये के तौर पर रकम की वसूली के संबंध में इसका कौन सा प्रावधान लागू होता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

18. संहिता, 2006 के अध्याय XII में "भू-राजस्व की वसूली" से संबंधित प्रावधान हैं। इस अध्याय के कुछ ऐसे प्रावधानों का उल्लेख करना उचित होगा जो इस विवाद से संबंधित हैं। उन्हें नीचे दिया गया है:-

“167. चूककर्ता- धारा 165 में बताई गई तारीख पर या उससे पहले भुगतान न किया गया कोई भी बकाया भू-राजस्व, उस तारीख से बकाया राशि बन जाता है और इसके भुगतान के लिए ज़िम्मेदार व्यक्ति चूककर्ता माने जाएंगे।

169. मांग-पत्र- जैसे ही भू-राजस्व का कोई बकाया देय हो जाता है, तहसीलदार चूककर्ता के खिलाफ मांग का नोटिस जारी कर सकता है, जिसमें उसे तय समय के भीतर हाज़िर होने या बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है।

170. बकाया राशि की वसूली की प्रक्रिया.- (1) ज़मीन के राजस्व का जो बकाया, मांग-पत्र में बताई गई समय-सीमा के भीतर नहीं चुकाया गया है, उसे नीचे दी गई प्रक्रियाओं में से किसी एक या अधिक तरीकों से वसूला जा सकता है, जैसे-

- (क) चूककर्ता को गिरफ़्तार करके और हिरासत में रखकर;
- (ख) उसकी चल संपत्ति (जिसमें खेती की उपज भी शामिल है) को कुर्क करके और बेचकर;
- (ग) चूककर्ता के किसी बैंक खाते या लॉकर को कुर्क करके;
- (घ) उस ज़मीन को कुर्क करके जिसके लिए बकाया राशि देनी है;
- (ङ) उस ज़मीन को पट्टे पर देकर या बेचकर जिसके लिए बकाया राशि देनी है;
- (च) चूककर्ता की अन्य अचल संपत्ति को कुर्क करके और बेचकर;
- (छ) चूककर्ता की किसी भी संपत्ति चाहे वह चल हो या अचल, के लिए रिसीवर नियुक्त करके।

स्पष्टीकरण - किसी भी संदेह को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इसमें पहले बताई गई दो या उससे अधिक प्रक्रियाओं को एक साथ या एक के बाद एक जारी और लागू किया जा सकता है।

(2) ऐसी धनराशि जो भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूल की जा सकती है, लेकिन जो किसी विशिष्ट भूमि के संबंध में देय नहीं है, उसे इस धारा के अंतर्गत प्रक्रियाओं द्वारा चूककर्ता की किसी भी अचल संपत्ति से वसूल किया जा सकता है, जिसमें ऐसी कोई भी जोत शामिल है जिसका वह भूमिधर है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

173. चूककर्ता के बैंक खाता और लॉकर को कुर्क करना- चूककर्ता के किसी भी बैंक खाते को ज़ब्त करने की कार्रवाई, जहाँ तक संभव हो, संबंधित बैंक शाखा के प्रभारी प्रबंधक को "अधिकथित रीति अनुष्ठी आदेश" (गार्निशी ऑर्डर) देकर की जाएगी। यह प्रक्रिया सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की पहली अनुसूची में दिए गए आदेश XXI के नियम 46, 46-क और 46-ख में बताए गए तरीके से पूरी की जाएगी। चूककर्ता द्वारा किराए पर लिए गए लॉकर के मामले में, उसे उसी प्रबंधक की मौजूदगी में सील किया जाएगा। इसके बाद, प्रबंधक लॉकर में मौजूद सामान की सूची बनाने और उसे अंततः निपटाने के संबंध में उप-विभागीय अधिकारी के अगले आदेशों का इंतज़ार करेगा।

174. जोत की कुर्की-(1) कलेक्टर ऐसी किसी भी ज़मीन को कुर्क कर सकता है, जिस पर भू-राजस्व का कोई बकाया हो।

(2) अगर उस बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाता है, जिसके लिए उप-धारा (1) के तहत कुर्की की गई थी, तो वह कुर्की हटा ली जाएगी।

(3) अगर ऐसी कुर्की की तारीख से तीस दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो कलेक्टर मामले के अनुसार धारा 175 या धारा 176 के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई कर सकता है।

179. वसूली की प्रक्रिया- इस अध्याय के अनुसार, भू-राजस्व या भू-राजस्व के बकाये के तौर पर वसूल की जाने वाली अन्य राशियों की वसूली के लिए, वसूली अधिकारी ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो निर्धारित की गई हो।"

181. कानूनी प्रतिनिधियों आदि से वसूली की कार्यवाही- (1) यदि इस अध्याय के तहत भू-राजस्व की बकाया राशि की वसूली के लिए किसी भी कार्यवाही के शुरू होने से पहले या बाद में, चूककर्ता की मृत्यु हो जाती है, तो चूककर्ता के कानूनी प्रतिनिधियों के खिलाफ कार्यवाही (गिरफ्तारी और हिरासत को छोड़कर) शुरू या जारी रखी जा सकती है, मानो वे कानूनी प्रतिनिधि ही चूककर्ता हों:

बशर्ते कि ऐसे कानूनी प्रतिनिधि केवल मृतक की उस संपत्ति की सीमा तक ही उत्तरदायी होंगे जो उनके पास आई है।

(2) जहां किसी व्यक्ति ने चूककर्ता से देय राशि के लिए ज़मानत दी है, उसके खिलाफ इस अध्याय के तहत कार्यवाही की जा सकती है, मानो वह स्वयं चूककर्ता हो।"

19. ऊपर बताए गए प्रावधानों को मिलाकर पढ़ने से यह पता चलता है कि "**चूककर्ता**" (धारा **167**) को भुगतान देय हो जाता है और चूककर्ता के **कानूनी प्रतिनिधि** भी उसी श्रेणी में आते हैं (धारा **181**)।

20. स्टाम्प अधिनियम की धारा 29 (ग) के तहत कानूनी स्थिति को लेकर कोई विवाद नहीं है कि संपत्ति हस्तांतरण के मामले में, '**शुल्क अनुदान प्राप्तकर्ता**' यानी '**खरीददार**' को देनी होती है; इसलिए, सही स्टाम्प ड्यूटी चुकाने की ज़िम्मेदारी याचिकाकर्ताओं के पिता की थी। इस संबंध में, इस अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

न्यायालय की खंडपीठ के श्रीमती कांता बखशी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य : 2019(6) एएलजे 117 (डीबी) मामले में दिए गए फैसले का हवाला दिया जा सकता है। यह बात मानी गई है कि याचिकाकर्ता, खरीददार राकेश कुमार वर्मा के बेटे होने के नाते, मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों के तौर पर खुद को पुनरीक्षणकर्ता के रूप में शामिल करवाया था। वसूली की कार्यवाही में उनकी क्या स्थिति होगी, इसे नीचे दी गई चर्चा से समझा जा सकता है।

21. 1950 के अधिनियम की धारा 3(16) में “कानूनी प्रतिनिधि” को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:-

“3(16) “कानूनी प्रतिनिधि” का वही अर्थ है जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में दिया गया है;”

22. सीपीसी की धारा 2(11) में ‘कानूनी प्रतिनिधियों’ को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:-

“**2(11) “कानूनी प्रतिनिधि”** का मतलब है वह व्यक्ति जो कानून के अनुसार किसी मृतक व्यक्ति की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, और इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जो मृतक की संपत्ति में दखल देता है; और जहाँ कोई पक्ष प्रतिनिधि के तौर पर मुकदमा करता है या उस पर मुकदमा किया जाता है, तो मुकदमा करने वाले या जिस पर मुकदमा किया गया है, उस पक्ष की मृत्यु पर जिस व्यक्ति को संपत्ति मिलती है, वह भी इसमें शामिल है;”

23. ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के 7वें संस्करण में ‘संपदा’ शब्द को इस तरह परिभाषित किया गया है: किसी व्यक्ति की ज़मीन या दूसरी संपत्ति में उसकी हिस्सेदारी की मात्रा, स्तर, प्रकृति और गुणवत्ता। 2. किसी व्यक्ति या संस्था की सभी संपत्तियाँ, जिसमें अचल और चल दोनों तरह की संपत्ति शामिल है। 3. वह संपत्ति जो कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद छोड़ जाता है; यानी किसी मृत व्यक्ति की कुल संपत्ति और देनदारियाँ। 4. ज़मीन का एक टुकड़ा, खासकर वह जिस पर ‘ईज़मेंट’ यानी किसी दूसरे के इस्तेमाल का अधिकार लागू हो।”

24. ऊपर बताई गई बातों को देखते हुए, याचिकाकर्ताओं के दिवंगत पिता के पास अपने जीवनकाल में जो भी चल-अचल संपत्ति जिसमें संपत्ति और देनदारियाँ शामिल थी, अब मौजूदा याचिकाकर्ता उनके ‘कानूनी उत्तराधिकारियों’ के तौर पर उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसलिए, संहिता, 2006 की धारा 181 लागू होगी और वसूली की कार्यवाही याचिकाकर्ताओं के खिलाफ वैसे ही जारी रहेगी जैसे कि वे खुद चूककर्ता हों। हालांकि, विचार करने के लिए मुख्य सवाल यह है कि बकाया रकम चुकाने के लिए याचिकाकर्ताओं की जिम्मेदारी किस हद तक और किस तरह की होगी।

25. धारा 181 की उप-धारा (1) का प्रावधान साफ़ तौर पर कहता है कि कानूनी उत्तराधिकारी केवल मृतक की उस संपत्ति की हद तक ही जिम्मेदार होंगे जो उन्हें मिली है। इसलिए, भले ही स्टाम्प अधिनियम की धारा 48 के तहत, कलेक्टर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ वसूली के उन तरीकों में से कोई भी तरीका अपना सकता है जो धारा 170 की उप-धारा (1) में बताए गए हैं, फिर भी यह सब

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

धारा 181 की उप-धारा (1) के प्रावधान में दी गई शर्त के अधीन होगा। इसका मतलब यह है कि भले ही वसूली प्रमाणपत्र पर अमल किया जाए, याचिकाकर्ताओं की ज़िम्मेदारी केवल उनके मृतक पिता की उस संपत्ति तक ही सीमित होगी जो उन्हें मिली है।

26. हालांकि याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्हें अपने दिवंगत पिता से कोई संपत्ति, चल या अचल, नकद या गहने विरासत में नहीं मिले हैं, लेकिन चूंकि यह पूरी तरह से तथ्य का मामला है और इसके लिए जांच-पड़ताल की ज़रूरत है, इसलिए इस चरण पर-खासकर रिट अधिकार क्षेत्र के तहत-यह बात नहीं मानी जा सकती कि याचिकाकर्ताओं को अपने पिता से कुछ भी हासिल नहीं हुआ है।

27. इसके अलावा, चूंकि धारा 170 के उप-धारा (1) का स्पष्टीकरण साफ तौर पर कहता है कि उप-धारा (1) में बताई गई दो या उससे ज़्यादा प्रक्रियाएं एक साथ या एक के बाद एक शुरू और लागू की जा सकती हैं, और अध्याय XII के तहत कई अन्य प्रावधान भी हैं जिनमें चूककर्ता की चल या अचल संपत्ति को कुर्क करने और बेचने के साथ-साथ चूककर्ता के बैंक खाता और लॉकर को कुर्क करने का भी प्रावधान है, इसलिए न्यायालय इस चरण पर याचिकाकर्ताओं से वसूली को किसी एक तरीके तक सीमित नहीं कर सकता। असल में और कानूनी तौर पर, प्रतिवादी वसूली प्रमाणपत्र को लागू करने के अपने अधिकारों के दायरे में हैं, हालांकि, धारा 180 के उप-धारा (1) के परंतुक के आदेश को ध्यान में रखते हुए, जो सीधे तौर पर चूककर्ता के कानूनी प्रतिनिधियों पर लागू होता है।

28. कर्ज़ की वसूली भू-राजस्व की बकाया राशि की तरह कैसे की जा सकती है, इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **श्याम सिंह बनाम कलेक्टर, ज़िला हमीरपुर, यू.पी. और अन्य 1993 पूरक (1) एससीसी 693** मामले के फैसले का ज़िक्र किया जा सकता है। यह मामला **यू.पी. कृषि ऋण अधिनियम, 1973** के तहत लिए गए कर्ज़ से जुड़ा था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ 1950 के अधिनियम की धारा 279 और सी.पी.सी. की धारा 51 और ऑर्डर XXI नियम 30 (जो धन डिफ़्री के अमल से संबंधित हैं) पर विचार किया। न्यायालय ने माना कि अलग-अलग या एक साथ, किसी भी तरीके से रकम वसूलने के अधिकार को मान्यता दी जानी चाहिए। उस मामले के तथ्यों के आधार पर, यह तय करना ज़रूरी समझा गया कि क्या देनदार के खिलाफ़ एक साथ कार्यवाही की अनुमति दी जानी चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लेनदार को निर्देश दिया कि वह पहले से वसूल की गई रकम का पता लगाए। अगर पूरी रकम वसूल नहीं हुई है, तो लेनदार को उस ज़मीन को बेचने की कार्यवाही करने की छूट दी गई जो बैंक के पास गिरवी रखी गई थी; यह कार्यवाही 1973 के अधिनियम और 1950 के अधिनियम की धारा 279(1) के प्रावधानों के अनुसार की जानी थी।

29. जहाँ तक याचिकाकर्ताओं के आधिवक्ता द्वारा बताए गए **चंद्र प्रभा चैरिटेबल ट्रस्ट** (उपरोक्त) मामले के फैसले की बात है, तो वह मामला केरल उच्च न्यायालय में **केरल कृषि आयकर अधिनियम, 1991** के प्रावधानों से जुड़ा था। इसमें संपदा शुल्क के लिए दावा की गई कटौती को नामंज़ूर करने वाले कानूनी न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती दी गई थी। केरल उच्च न्यायालय ने **संपदा शुल्क अधिनियम, 1953** की धारा 74 के प्रावधानों पर विचार किया, जिसके अनुसार संपदा शुल्क मृतक की चल और अचल संपत्तियों पर प्राथमिक दायित्व होती है। न्यायालय ने माना कि यह संपदा के उत्तराधिकारी की व्यक्तिगत देनदारी नहीं थी और अगर इसका भुगतान नहीं किया जाता है, तो इसे मृतक की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क करके और बेचकर संपदा शुल्क के तौर पर वसूला जाना था। यह मामला करदाता के खिलाफ़ और राज्य के पक्ष में तय किया गया था। अभी जो मामला

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

है, वह स्टाम्प अधिनियम, 1899 और संहिता, 2006 खासकर इसकी धारा 181 के प्रावधानों से पैदा हुए एक अलग विवाद से जुड़ा है; इसलिए, जिस फैसले का हवाला दिया गया है, वह इस मामले में सीधे तौर पर लागू नहीं होता है।

30. जहाँ तक **भगवान सिंह** (उपरोक्त) के मामले में जिस दूसरे फैसले का हवाला दिया गया है, उसकी बात है, तो इस न्यायालय की एक बेंच ने **यू.पी. ऋण राहत अधिनियम, 1977** के उस मामले पर विचार किया था जिसमें देनदार की मौत अधिनियम लागू होने की तारीख से पहले ही हो गई थी और सवाल यह था कि क्या यह अधिनियम देनदार के कानूनी वारिसों पर लागू होगा या नहीं। इस विवाद पर इस बात को ध्यान में रखते हुए चर्चा की गई थी कि ज़मीन गिरवी रखने वाले व्यक्ति की मौत अधिनियम लागू होने से पहले ही गिरवी रखी गई संपत्ति को छुड़ाए बिना हो गई थी और उसके कानूनी वारिसों यानी याचिका में शामिल पक्षों को मृतक की संपत्ति विरासत में मिली थी। उस मामले में, कानूनी वारिसों के खिलाफ वसूली का मुकदमा उनके पक्ष में फैसला सुनाए जाने के साथ खत्म हुआ और वसूली की कार्यवाही में, कानूनी वारिसों के पास मौजूद उनके पिता की संपत्ति 1976 में बेच दी गई, यानी 1977 के अधिनियम के लागू होने से पहले ही।

31. उस मामले के तथ्यों के आधार पर यह देखा गया कि कानूनी प्रतिनिधि केवल मृतक देनदार की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं और 1977 के अधिनियम की धारा 4 देनदार के सभी कर्जों को तो खत्म कर देती है, लेकिन उसकी संपत्ति पर इसका असर नहीं पड़ता। साथ ही यह भी देखा गया कि कानूनी प्रतिनिधियों से व्यक्तिगत रूप से कर्ज की वसूली नहीं की जा सकती क्योंकि उन पर व्यक्तिगत रूप से कोई कर्ज नहीं होता; कर्ज की वसूली केवल मृतक देनदार की संपत्ति से ही की जा सकती है। यदि देनदार अधिनियम के लागू होने के समय जीवित नहीं था, तो कानूनी प्रतिनिधि इस अधिनियम का लाभ पाने के हकदार नहीं हैं; इसलिए याचिका खारिज कर दी गई।

32. इस मामले के तथ्य और जिन कार्यवाहियों पर फैसला होना है, वे अलग तरह के हैं। फैसला स्टाम्प अधिनियम की धारा 48 के साथ-साथ 1950 के अधिनियम और 2006 के संहिता के प्रावधानों के आधार पर लिया जाना है। जब प्रावधान स्पष्ट हों और कानूनी प्रतिनिधियों की '**चूककर्ता के तौर**' पर ज़िम्मेदारी, साथ ही उनसे वसूली का तरीका और दायरा कानूनों के तहत अच्छी तरह से तय हो, तो इसका साफ़ जवाब ऊपर बताए गए प्रावधानों में मिलता है। इसी तरह के प्रावधान सबसे ज़्यादा लागू होने वाले कर कानून, **आयकर अधिनियम, 1961** की धारा 159 में भी मिलते हैं, जिसमें कर देने वाले की मौत के बाद भी कानूनी प्रतिनिधियों की ज़िम्मेदारी तब तक बनी रहती है जब तक कि उस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसे पूरा न कर दिया जाए।

33. ऊपर की चर्चा और दोनों पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए, **निम्नलिखित निर्देश** जारी किए जाते हैं:-

याचिकाकर्ताओं को छूट

- (i). याचिकाकर्ताओं को यह छूट है कि वे इस आदेश की तारीख से **एक महीने** के भीतर, आगरा के कलेक्टर के सामने वसूली प्रमाण पत्र (डी. आर. संख्या 213/22) के खिलाफ अपने **आपत्ति-पत्र** और सहायक दस्तावेज़ जमा करें। साथ ही, उन्हें अपने पिता की मृत्यु

से पहले के तीन वर्षों के आयकर रिटर्न (आईटीआर) और पिता की मृत्यु के बाद खुद के भरे गए अद्यतन आईटीआर भी अनिवार्य रूप से संलग्न करने होंगे।

कलेक्टर की बाध्यता, कर्तव्य और शक्तियाँ

(ii). आपत्तियाँ मिलने पर, कलेक्टर उन आपत्तियों में उठाए गए तर्कों की सच्चाई का पता लगाने के लिए **जांच-पड़ताल** शुरू करेगा। साथ ही, जुटाई गई रिपोर्टों और अन्य जानकारी के आधार पर, वह याचिकाकर्ताओं को अपना जवाब देने के लिए कहेगा और आपत्तियों पर सुनवाई की तारीख तय करेगा।

(iii). कलेक्टर, याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का उचित मौका देने के बाद, उनके द्वारा पेश किए गए आईटीआर या उनके अनुरोध पर आयकर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आईटीआर पर, ठोस कारणों के साथ आदेश जारी करके आपत्तियों का गुण-दोष के आधार पर फैसला करेंगे। यह प्रक्रिया उस तारीख से **चार महीने** के भीतर पूरी की जाएगी, जिस दिन उनके सामने इस आदेश की प्रमाणित प्रति पेश की जाएगी।

(iv). अगर कलेक्टर इस नतीजे पर पहुँचता है कि याचिकाकर्ताओं को वसूली प्रमाणपत्र में बताई गई रकम कितनी चुकानी है, तो वह संहिता, 2006 की धारा 170(1) के तहत बताए गए तरीकों में से किसी एक तरीके को अपनाकर उनसे तुरंत वह रकम वसूल करेगा;

(v). अगर ऊपर बताए गए तरीके से कार्रवाई करने के बाद भी डी. आर. संख्या 213/22 वाले वसूली प्रमाणपत्र के तहत पूरी रकम वसूल नहीं हो पाती है, तो कलेक्टर को संहिता, 2006 की धारा 170 की उप-धारा (1) के तहत वसूली का कोई दूसरा तरीका अपनाने का पूरा अधिकार होगा;

(vi). कलेक्टर के पास यह अधिकार होगा कि वह याचिकाकर्ताओं के पिता राकेश कुमार वर्मा की मृत्यु के बाद हुए वित्तीय लेन-देन और उनके तथा याचिकाकर्ताओं के बैंक खातों की जानकारी का पता लगाने के लिए किसी भी विभाग या बैंक की मदद और सेवाओं का उपयोग कर सके; और ऐसे विभाग/बैंक कलेक्टर को बिना किसी चूक के ज़रूरी मदद उपलब्ध कराएंगे।

याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध निषेधाज्ञा

(vii). चूंकि इस कार्यवाही में जनता का पैसा शामिल है और वसूली प्रमाण पत्र डी. आर. संख्या 213/22 के तहत बकाया राशि की मांग अभी भी लागू है, और इस बात की संभावना है कि याचिकाकर्ता—जिन पर कानून के आदेशानुसार बकाया राशि चुकाने की कानूनी ज़िम्मेदारी है—सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXXVIII के सिद्धांतों और अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण विवेकाधीन संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं; इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि जब तक कलेक्टर, आगरा इस आदेश के तहत आपत्तियों पर निर्णय नहीं ले लेते, तब तक याचिकाकर्ताओं को अपनी चल और अचल संपत्तियों साथ ही वे संपत्तियाँ जो उन्हें अपने दिवंगत पिता से विरासत में मिली हो सकती हैं के संबंध में किसी तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने से **रोका जाता है**।



(viii). याचिकाकर्ताओं को वसूली प्रमाणपत्र डी. आर. संख्या 213/22 में बताई गई रकम से ज्यादा कोई भी रकम अपने बैंक खातों से निकालने से भी रोका जाता है; यानी, उन्हें अपने खातों में हमेशा कम से कम उतनी रकम का राशि बनाए रखना होगा जो विवादित लेवी के बराबर हो।

याचिकाकर्ताओं के पक्ष में संरक्षण

(ix) संहिता, 2006 की धारा 181 की उप-धारा (1) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, आपत्तियों पर निर्णय होने तक या कलेक्टर के समक्ष इस आदेश की प्रति दाखिल करने की तारीख से चार महीने की अवधि तक, इनमें से जो भी पहले हो, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई **कठोर कार्रवाई नहीं** की जाएगी और उन्हें वसूली प्रमाण पत्र डी. आर. संख्या 213/22 के तहत **हिरासत में नहीं लिया जाएगा या गिरफ्तार नहीं किया जाएगा**।

34. उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ याचिका **निस्तारित** की जाती है।

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र)

मार्च 25, 2026